संख्याः ई0 एक्स0 एन0—ए(3)—3/2023
हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी

प्रेषित

सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा
शिमला —4.

दिनांकः शिमला—171002. 19.09.2023.

विषयः— हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 13) को हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सत्र में रखने बारे नोटिस।

महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है कि मैं हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 13) को विधान सभा के मॉनसून सत्र मे प्रस्तुत करना चाहता हूं।

विधेयक की 100 प्रतियां (तीन अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) संलग्न हैं। आपसे अनुरोध है कि इस विधेयक को विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिए कार्यसूची में शामिल करने की कृपा करें।

भवदीय,

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मंत्री
हिमाचल प्रदेश।

संलग्नः यथोपरि।
पृष्ठांकन संख्याः ई0एक्स0एन0—ए0(3)—3/2023 दिनांक— शिमला—02 ,2023

1. प्रधान सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—02.
2. सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—2 को मन्त्रीमण्डल की बैठक दिनांक 14.09.2023 के मद संख्याः 14 के संदर्भ में लिए गए निर्णय के संबंध में।
3. आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, हिमाचल प्रदेश, शिमला—09 को उपरोक्त विधयेक की तीन प्रतियों सहित।

(हरबंस सिंह ब्रसकोन)
विशेष सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश।

2023 का विधेयक संख्यांक 13

# हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2023

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

# हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2023

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम।

2. धारा 3 का संशोधन।

# हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2023

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

**1.** इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन अधिनियम, 2023 है।

धारा 3 का संशोधन।

**2.** हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 की धारा 3 में, —

(i) उप—धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यांत्रिक यान या छकड़ा के माध्यम से सड़क द्वारा वहन किए गए अनसूची—1 के स्तंभ (2) में विर्निदिष्ट प्रत्येक प्रकार के माल पर अनुसूची—1 के स्तंभ (3) में यथा विर्निदिष्ट दरों पर कर उद्गृहीत किया जाएगा और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा।"।

(ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

अधिप्रमाणित
सुखविन्द्र सिंह

मुख्यमन्त्री
हिमाचल प्रदेश

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 हिमाचल प्रदेश राज्य में सड़क द्वारा वहन किए जाने वाले कतिपय माल पर कर के उद्ग्रहण के लिए और सड़क द्वारा वहन किए जाने वाले माल पर अधिरोपित कतिपय करों को विधिमान्य करने और उससे संबद्ध कतिपय अन्य मामलों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया था। वर्तमानतः कतिपय माल पर 250 किलोमीटर तक की दूरी के लिए भिन्न दर पर तथा 250 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए भिन्न दर पर कर उद्गृहीत किया जा रहा है। पणधारियों के लिए कराधान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, दूरी खण्ड का लोप किया जा रहा है ताकि तय की गई दूरी को ध्यान में न रखते हुए कर समान दरों पर उद्गृहीत किया जा सके।

**(सुखविंदर सिंह सुक्खू)**
मुख्य मन्त्री।

अधिप्रमाणित
सुखविन्द्र सिंह
मुख्यमन्त्री
हिमाचल प्रदेश

शिमलाः

तारीखः..............................., 2023

----------

**वित्तीय ज्ञापन**

विधेयक के उपबन्ध, यदि अधिनियमित किए जाते हैं, तो राजकोष को लगभग ₹ 2.35 करोड़ की राजस्व हानि अन्तर्वलित होगी।

----------

**प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन**

–शून्य–

----------

**भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें**
**(नस्ति संख्याः ई. एक्स. एन.–ए(3)–3/2023)**

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2023 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

**हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2023**

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

**(सुखविंदर सिंह सुक्खू)**
मुख्य मंत्री।

अधिप्रमाणित
सुखविन्द्र सिंह
मुख्यमन्त्री
हिमाचल प्रदेश

---------

**(शरद कुमार लगवाल)**
सचिव (विधि)।

शिमलाः
तारीखः..............................., 2023

**इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) के उपबन्धों के उद्धरण।**

धारा:—

3. **उद्ग्रहण और कर की दर.**——(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, यान्त्रिक यान, छकड़ा द्वारा रेल और वायु मार्ग के सिवाय अनुसूची–1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सड़क द्वारा वहन किए गए प्रत्येक प्रकार के माल पर कर उद्‌गृहीत किया जाएगा और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा।

(2) अनुसूची–। में विनिर्दिष्ट माल पर उद्‌गषहित किया गया ऐसा कर, राज्य में प्रत्येक दो सौ पचास किलोमीटर या उसके भाग की तय की गई या तय की जा रही दूरी के लिए निम्नलिखित दरों पर संदेय होगा, अर्थात्:—

| | |
|---|---|
| (क) जहां तय की गई या तय की जा रही दूरी 250 किलोमीटर से अधिक न हो | अनुसूची–। के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट दरों पर; और |
| (ख) जहां तय की गई या तय की जा रही दूरी 250 किलोमीटर से अधिक हो | अनुसूची–। के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट दरों से दुगनी दरों पर। |

(3) किसी भी समय, नियत दिन से पूर्व किन्तु 17 जुलाई, 1976 को और उसके पश्चात्, रेल और वायु मार्ग के सिवाए, यान्त्रिक यान, छकड़ा, पशु और मानवीय अभिकरण द्वारा या किसी अन्य साधन द्वारा, सड़क द्वारा वहन किए गए अनुसूची–II के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्रकार के माल पर राज्य में प्रत्येक 150 किलोमीटर या उसके भाग की तय की गई दूरी के लिए उसके स्तम्भ (3) में वर्णित अवधि के लिए निम्नलिखित दरों पर कर उद्‌गृहीत और संदत्त किया गया समझा और सदैव समझा जाएगा, अर्थात् :—

| | |
|---|---|
| (क) जहां तय की गई दूरी 150 किलोमीटर से अधिक न हो। | अनुसूची–II के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट दरों पर; |
| (ख) जहां तय की गई दूरी 150 किलोमीटर से अधिक हो किन्तु 300 किलोमीटर से अधिक न हो। | अनुसूची–II के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट से दुगनी दरों पर; और |

| | |
|---|---|
| (ग) जहां तय की गई दूरी 300 किलोमीटर से अधिक हो। | अनुसूची–II के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट दरों से तीन गुना दरों पर। |

(4) कर के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, माल के शुद्ध भार, मूल्य, परिमाण और प्रकार का अवधारण विहित रीति से किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण**.––– इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत कर, हिमाचल प्रदेश में यात्री और सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का 15) के अधीन उद्गृहीत या उद्ग्रहणीय किसी कर के अतिरिक्त होगा।

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

BILL NO. 13 OF 2023

# THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD) AMENDMENT BILL, 2023

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

# THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD) AMENDMENT BILL, 2023

## ARRANGEMENT OF CLAUSES

*Clauses:*


1. Short title .
2. Amendment of section 3.

Bill No. 13 of 2023

# THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD) AMENDMENT BILL, 2023

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (Act No. 16 of 1999).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

**1.** This Act may be called the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Amendment Act, 2023.

Amendment of section 3.

**2.** In section 3 of the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act,1999;

(i) in sub-section (1), for the words "except railways and airways", the words "at the rates as specified in column (3) of Schedule-I" shall be substituted.

(ii) sub-section (2) shall be omitted.

Authenticated

Chief Minister
Himachal Pradesh

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 was enacted to provide for levy of a tax on certain goods carried by road in the State of Himachal Pradesh and to validate certain taxes imposed on goods carried by road and for certain other matters connected therewith. Presently, the tax on certain goods is being levied at different rate for a distance upto 250 kilometers and different for a distance beyond 250 kilometers. In order to simplify the taxation proceedure for the stakeholders, the distance clause is being omitted so that the tax may be levied on uniform rates without taking into account the distance covered.

**(SUKHVINDER SINGH SUKHU)**
*Chief Minister.*

Authenticated

Chief Minister
Himachal Pradesh

SHIMLA:
THE.........., 2023

---

## FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill, if enacted, shall involve revenue loss of approximately Rs. 2.35 crore to the State Exchequer.

---

## MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

---

## RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

(File No. EXN-A(3)-3/2023)

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Amendment Bill, 2023, recommends under article 207 of the Constitution of India, the introduction and the consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

**THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD) AMENDMENT BILL, 2023**

A

BILL

*to amend the Himachal Pradesh Taxation (On certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (Act No. 16 of 1999).*

**(SUKHVINDER SINGH SUKHU)**
*Chief Minister.*

Authenticated

Chief Minister
Himachal Pradesh

---

**(SHARAD KUMAR LAGWAL)**
*Secretary (Law).*

SHIMLA:
THE..........., 2023

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD) ACT, 1999 (16 OF 1999) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.

*Section:*

3. **Levy and rate of tax.**—(1) Subject to the provisions of this Act, there shall be levied and paid to the State Government a tax on every kind of goods specified, in column (2) of Schedule-I, carried by road by means of a mechanical vehicle or cart except railways and airways.

(2) Such tax levied on the goods specified in Schedule-I, shall be payable for a distance of every two hundred and fifty kilometres or part thereof covered or being covered within the State and at the following rates, namely:—

| | | |
|---|---|---|
| (a) | where the distance covered or Being covered does not exceeds 250 Kilometres | at the rates as specified in column (3) of Schedule-I; and |
| (b) | where the distance covered or Being covered exceeds 250 Kilometres | at twice the rates as specified in column (3) of Schedule-I |

(3) On every kind of goods, specified in column (2) of Schedule-II, carried by road by means of a mechanical vehicle, cart, animal and human agency or any other means, except railways and airways, at any time, on or after the 17th day of July, 1976 but before the appointed day, there shall be deemed and always deemed to have been levied and paid to the State Government, a tax for a distance of every one hundred and fifty kilometres, or part thereof, covered within the State, and for the period mentioned in column (3) thereof and at the following rates, namely:-

| | | |
|---|---|---|
| (a) | where the distance covered does Not exceed 150 kilometres. | at the rates as specified in column (4) of Schedule-II |
| (b) | where the distance covered exceeds 150 Kilometres but does not exceed 300 kilometres. | at twice the rates specified in column (4) of Schedule-II; and |
| (c) | where the distance covered Exceeds 300 kilometres | at thrice the rates specified in column (4) of Schedule-II |

(4) The net weight, value, volume and species of the goods for the purpose of assessment of tax shall be determined in the manner prescribed.

*Explanation.*—The tax levied under this Act shall be in addition to any tax levied or leviable under the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 (15 of 1955).

राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0, शिमला––1334–जुड/2023–17–9–2023––175.